

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक/स्वशासी/स्था/राज/20/ 3370

जबलपुर दिनांक 02/04/2020

विज्ञापन

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 4-30/2017/1-55 भोपाल दिनांक 14.08.2017 मे प्रदान स्वीकृत एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र क्रमांक एफ-07-25-2019-आ.प्र.-एक - मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन दिनांक 19/08/2019 के अनुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सीनियर/जूनियर रेसीडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 3 वर्ष हेतु भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में दिनांक 08/04/2020 को आयोजित साक्षात्कार में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। नियुक्ति की शर्तें पूर्ववत यथावत रहेंगी।

Senior Resident						
S.No.	SUBJECT	UR	OBC	ST	SC	Total Vacant
1	ANAESTHESIA	02	01	01	01	05
2	NEUROLOGY	01	01	01	01	04
3	NEURO SURGERY	03(2+1F)	01	01	01	06
4	CARDIOLOGY	03(2+1F)	01	01	01	06
5	CARDIAC SURGERY	00	01	01	00	02
6	NEPHROLOGY	03(2+1F)	01	01	01	06
7	UROLOGY	03(2+1F)	01	01	01	06
8	RADIO DIAGNOSIS	02	01	01	01	05
9	NEONATOLOGY	03(2+1F)	01	01	01	06
कुल योग :		20	09	09	08	46
Junior Resident						
S.No.	SUBJECT	UR	OBC	ST	SC	Total Vacant
1	ANAESTHESIA	00	01	00	00	01
2	CARDIAC SURGERY	00	00	01	00	01
3	NEPHROLOGY	00	01	00	00	01
कुल योग :		00	02	01	00	03

नोट:- रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। महिला चिकित्सक न होने पर पुरुष वर्ग से भरा जावेगा।

साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उम्मीदवार को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

नोट :-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी सकेगी।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जायेगा।
5. रिक्त पद उपलब्ध होने तक वाकआवेदन के पूर्व पद की : जारी रहेगा। अतरव्यूइन्ट-इन-सकेगा। पना शाखा से ज्ञात किया जाधता का पता कार्यालय के स्थाउपलब्

शर्त:-

1. अवधिअवधि- की सेवाजूनियर रेसीडेन्ट/सीनियर रेसीडेन्ट - : (Tenure)तीन वर्ष की होगी। प्रथमत 01 :वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी । तत्पश्चात सेवायें सनतोषजनक पाये जाने पर वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी । 3 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 01-01
2. नियुक्ति का तरीका:-योग्य अभ्यर्थियों का चयन एमएस सभी.डी.एम/एस.एम/डी.एम/एस.बी.बी. र उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंको एवं साक्षात्का समिति की अनुशंसा पर नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी ।
3. आवेदन शुल्क :-सीनियर रेसीडेन्टजूनियर रेसी/डेन्ट के पद हेतु अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रू -/700(सात सौ) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपयें-- /500(पांच सौ) राशि का डिमांड ड्राफ्ट "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एवं अधिष्ठाता स्वाशासी नेता जी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर " के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा । बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा । किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नहीं जावेगी ।
4. शैक्षणिक योग्यता सीनियर रेसीडेन्ट :-

- a. सीनियर रेसीडेन्ट की मूल अर्हता साक्षात्कार के समय एमके व .आई.सी.तर्मान अपडेट / (Latest) मापदण्ड के अनुसार रहेगी । जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले पाँच वर्ष के अन्दर एमर्ण किया है वे ही परीक्षा उत्ती .एस.डी.एम/एस.एम/डी. लिये आवेदन कर इस पद केने पात्र होमें । सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस करने पी पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने इसी चिकित्सा महाविद्यालय से एमएस परीक्षा.डी.एम/एस.एम/डी. में सम्मिलित/उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी । उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सों को प्राथमिकता दी जायेगी । संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी ।

05 शैक्षणिक योग्यता जूनियर रेसिडेन्ट :-

- (क.) एम.बी.बी.एस. पास कर इंटरनशिप पूर्ण कर ली हो ।
- (ख.) उक्त चिकित्सकों की इंटरनशिप विज्ञापन प्रकाशन के दिनांक से पिछलेतीन वर्ष में पूर्ण हुई हो, इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नहीं होंगे ।
- (ग.) निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी ।

06 यात्रा भत्ता:- साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा ।

अन्य शर्त :-

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेन्ट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा ।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी ।
6. यदि कोई आवेदक किसी संस्था मे पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. उम्मीदवार को म०प्र० राज्य मेडिकल कौंसिल भोपाल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिष्ठाता द्वारा सीनियर रेसीडेन्ट की विभागों में संख्या कार्य आवश्यकता अनुसार समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।
साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज
जबलपुर

जबलपुर दिनांक /04/2020

पृ.क्रमांक/स्वशासी/स्था/राज/20/

प्रतिलिपी :-

1. संचालक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जबलपुर की ओर ।
2. स्टैनो की ओर भेज कर लेख है कि चिकित्सा महाविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें ।
3. चिकित्सा महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज
जबलपुर